न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी दीपक मित्तल आर.ए.एस)

मुकदमा नं0:– 30/24

1. दामोदर पुत्र रूपे
2. विजय पुत्र हरकिशन

   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जसपुरा मोरोली तहसील बयाना जिला भरतपुर (राज0)

3. अजब पुत्री हरकिशन व पत्नि मुकेश जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना हाल निवासी तेजगांव तहसील नादौती जिला करौली (राज0)
4. श्रीवती पुत्री हरकिशन व पत्नि देशराज जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना हाल निवासी सिकन्दरपुर जिला दौसा (राज0)
5. राजेश पुत्र अतरसिंह
6. पप्पू पुत्र अतरसिंह
7. बल्लो पत्नि अतरसिंह
8. नरेश पुत्र कनोली
9. रूपन पत्नि कनोली

   जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना, जिला भरतपुर (राज0)

10. अशरफी पुत्री कनोली व पत्नि हंसराज जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना हाल निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली (राज0)
11. गीता पुत्री कनोली व पत्नि घन्सू जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना हाल निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली (राज0)
12. पप्पी पुत्री कनोली व पत्नि हाकिम जाति गुर्जर निवासी जसपुरा मोरोली तहसील बयाना हाल निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली (राज0)

—— प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार बयाना, तहसील बयाना जिला भरतपुर, राजस्थान

—— गैरप्रार्थी

प्रार्थना पत्र शुद्धीकरण अन्तर्गत धारा
136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांकः– 1/4/26

उपस्थितिः– श्री नरेश गौड एड0

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम जसपुरा मोरोली तहसील बयाना जिला भरतपुर की जमावन्दी सम्बत 2031 के खाता संख्या 96 में दर्ज साबिक आराजी खसरा नमबरान 1252/706 रकवा 23 बीघा 18 विस्वा, 967 रकवा 6 विस्वा, 969 रकवा 1 बीघा, 1257/992 रकवा 9 बीघा 6 विस्वा, 1040 रकवा 9 विस्वा किता 5 कुल रकवा 34 बीघा 19 विस्वा से 3/20 हिस्सा रत्ती पुत्र नारायन गूजर से प्रार्थी संख्या 1 दामोदर व उसके भाई हरकिशन, कनोली, अतरसिंह ने वहिस्सा बराबर जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 28.01.1978 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया

3. उक्त साबिक खसरा नम्बरान के दोराने सेटिलमेंट नवीन खसरा नम्बरान 2035 रकवा 0.08, 2036 रकवा 0.11, 2037 रकवा 0.10, 2038 रकवा 0.39, 2040 रकवा 0.03, 2041 रकवा 0.10, 2042 रकवा 0.02, 2043 रकवा 0.03, 2044 रकवा 0.03, 2045 रकवा 0.08, 2046 रकवा 0.10, 2047 रकवा 0.37, 2048 रकवा 0.38, 2049 रकवा 0.58, 2112 रकवा 0.08, 2113 रकवा 0.45, 2114 रकवा 0.17, 2115 रकवा 0.24, 2116 रकवा 0.06, 2117 रकवा 0.11, 2118 रकवा 0.06, 2119 रकवा 0.03, 2120 रकवा 0.02, 2121 रकवा 0.02, 2122 रकवा 0.11, 2123 रकवा 0.14, 2124 रकवा 0.03, 2125 रकवा 0.01, 2126 रकवा 0.01, 2127 रकवा 0.05, 2797 रकवा 0.16, 2918/3465 रकवा 1.50, 2995 रकवा 0.07 किता 35 कुल रकवा 5.65 हैक्टै0 के बनाये गये है नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है, प्रार्थी दामोदर व उसके भाई हरकिशन, कनाली, अतरसिंह द्वारा खरीद की गई उक्त आराजी का मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा नामान्तकरण संख्या 631 ग्राम पंचायत जसपुरा मोरोली द्वारा दिनांक 6.5.1978 को स्वीकृत किया जाकर पटवार कागजात में अमल किया जावे, का अंकन किया गया, जिसमें वयनामा के अनुसार नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 11 में "हरकिशन, कनोली, दामोदर, अतरसिंह पिसरान रूपे कौग गूजर सा0देह0 वहि. बराबर खातेदार हि. 3/20 बाकी बदस्तूर 17/20 हिस्सा " का अंकन किया गया है लेकिन इसके बाद उक्त नामान्तकरण संख्या 631 का अमल जमाबन्दी सम्वत 2035 के खाता संख्या 204 में किया गया उक्त जमावन्दी के कॉलम नम्बर 5 में खातेदार हरकिशन, कनोली, दामोदर, अतरसिंह पि. रूपे 3/20 हि. दर 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त जमावन्दी सम्बत 2035 के खाता संख्या 204 में मुताबिक नामान्तकरण संख्या 631 के अनुसार अंकन किया जाना चाहिये थी, इस सम्बत 2035 की जमाबन्दी में दर 3/4 हिस्सा सहवन से हल्का पटवारी द्वारा दर्ज होने के कारण क्रेतागण खातेदारान का हिस्सा कम हो जाता है, इसी जमाबन्दी सम्बत 2035 के अनुसार दोराने सेटिलमेंट मिसिल हकीयत के खाता संख्या 229 में अंकन किया गया तो बदस्तूर चला आ रहा है वर्तमान जमावन्दी सम्बत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 219 में अतरसिंह, कनोली, दामोदर, हरकिशन पुत्रान रूपे का प्रत्येक का हिस्सा 3/400, 3/400 यानि चारो का हिस्सा 12/400 यानि 3/100 दर्ज किया हुआ है, जो कि मुताबिक नामान्तकरण संख्या 631 के अनुसार सही नही है, जबकि इस वर्तमान जमाबन्दी में प्रत्येक प्रार्थीगण खातेदार का हिस्सा 3/80, 3/80 यानि चारो का 3/20 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था, इस प्रकार की त्रुटि से प्रार्थीगण का वर्तमान में रकवा 0.1695 हैक्टे0 ही आता है जबकि वयनामा अनुसार रकवा 0.8475 हैक्टै0 होना चाहिए था, रेवेन्यू कर्मचारियों और अधिकारियों की सहवन भूल के कारण प्रार्थीगण का रकवा 0.8575 हैक्टै0 के स्थान पर 0.1695 है0 ही रह गया है और नामान्तकरण संख्या 631 ग्राम जसपुरा मोरोली के कॉलम नम्बर 11 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में हरकिशन, कनोली, दामोदर, अतरसिंह प्रत्येक का 3/80, 3/80 दर्ज किया जाना आवश्यक है जिसके अनुसार कुल हिस्सा 3/20 हिस्सा होता है, एवं वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा 3/400 (प्रत्येक खातेदार प्रार्थीगण) को कलमजन कर उसके स्थान पर हिस्सा 3/80, 3/80 (प्रत्येक खातेदार प्रार्थीगण) यानि कुल हिस्सा 3/20 शुद्ध किया जाना आवश्यक है जो कि एक सहवन क्लैरीकल मिसटेक है और शुद्धि योग्य है, उक्त खातेदार कनोली, हरकिशन व अतरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, मृतक कनोली पुत्र रूपे की विरासत का नामान्तकरण संख्या 1081 दर्ज होकर वर्तमान जमावन्दी में दर्ज हो चुका है जिनके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 12 है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 मृतक हरकिशन के वारिसान है व प्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 उक्त मृतक अतरसिंह के वारिसान है, प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की उक्त गलत इन्द्राजी का सर्वप्रथम पता चला जब मृतक कनोली के वारिसान हल्का पटवारी से विरासत दाखिल खारिज अपने पक्ष में दर्ज कराने गये तब पटवारी ने इसकी जानकारी दी है इसके बाद प्रार्थीगण ने इस संबंध में तमाम नकले प्राप्त की है अतः न्यायहित में श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र शुद्धीकरण पेश करना लाजिमी हुआ है।

अन्त में प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने वर्तमान जमावन्दी सम्बत 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 219 वाके ग्राम जसपुरामोरोली तहसील बयाना में दर्ज आराजीयात किता 35 कुल रकवा 5.65 है0 में दर्ज खातेदार अतरसिंह पुत्र रूपे हिस्सा 3/400, कनोली पुत्र रूपे हिस्सा 3/400 (वारिसान प्रत्येक 3/2000), दामोदर पुत्र रूपे हिस्सा 3/400, हरकिशन पुत्र

रूपे हिस्सा 3/400 को कलमजन करते हुये इसके स्थान पर चारो खातेदार का कुल हिस्सा 3/20 यानि अंतरसिंह का 3/80 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 व मृतक कनोली का 3/80 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 12 व प्रार्थी दामोदर 3/80 हिस्सा, व मृतक हरकिशन का 3/80 हिस्सा प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 को मुताबिक नामान्तकरण संख्या 631 ग्राम जसपुरामोरोली के कॉलम नम्बर 11 के अनुसार शुद्धीकरण व संशोधन किये जाने के आदेश हल्का पटवारी/गिरदावल को सादिर प्रदान किये जावे व तदनुसार इसका अमल वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना को प्रकरण में रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार बयाना ने अपने पत्रांक/एलआर/24/156 दिनांक 13.01.2025 से प्रकरण में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बयाना ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम जसपुरा मोरोली की जमाबंदी संवत् 2028—31 के खाता संख्या 96 के अनुसार विक्रेता खातेदार रत्ती पुत्र नारायण हिस्सा 3/100 का खातेदार दर्ज है जबकि विक्रेता खातेदार रत्ती पुत्र नारायण ने अपने मूल जमाबंदी से अधिक हिस्सा 3/20 का बेचान दिनांक 28.01.1978 को हरिकिशन, कनोली, दामोदर, अतरसिंह पि0 रूपे जाति गूजर को 3/20 हिस्सा का बेचान किया गया है जो कि मूल हिस्सा 3/100 से अधिक है जमाबंदी से सेग्रीगेशन में रिकार्ड शुद्धि के बाद वर्तमान में आवेदकों का क्रमांक 1, 2, 41, 18, 49, 59, 84, 112 पर दर्ज खातेदारों का हिस्सा सही व रिकार्ड अनुसार दर्ज है अतः शुद्धिकरण की उक्त प्रकरण में आवश्यकता नहीं है प्रकरण खारिज योग्य है।

प्रकरण में हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना। एड0 प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2073—76 ग्राम जसपुरा मौरोली, वयनामा 28.01.2078, नामान्तकरण संख्या 631, जमाबन्दी सम्वत 2031 ग्राम जसपुरा मौरोली, जमाबन्दी खेवट खतौनी सम्वत 2035 जसपुरा मौरोली, मिसिल हकीयत खाता संख्या 229 सम्वत 2051—70, मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग ग्राम जसपुरा मौरोली एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट पत्रांक/एलआर/24/156 दिनांक 13.01.2025 का गहनता से अवलोकन किया। ग्राम जसपुरा मोरोली की जमाबंदी संवत् 2028—31 के खाता संख्या 96 के अनुसार विक्रेता खातेदार रत्ती पुत्र नारायण हिस्सा 3/100 का खातेदार दर्ज है जबकि विक्रेता खातेदार रत्ती पुत्र नारायण ने अपने मूल जमाबंदी से अधिक हिस्सा 3/20 का बेचान दिनांक 28.01.1978 को हरिकिशन, कनोली, दामोदर, अतरसिंह पि0 रूपे जाति गूजर को 3/20 हिस्सा का बेचान किया गया है जो कि मूल हिस्सा 3/100 से अधिक है जमाबंदी से ग्रीगेशन में रिकार्ड शुद्धि के बाद वर्तमान में आवेदकों का क्रमांक 1, 2, 41, 18, 49, 59, 84, 112 पर दर्ज खातेदारों का हिस्सा सही व रिकार्ड अनुसार दर्ज है। अतः रिकार्ड का अंकन सही होने पर दुरूस्ती की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण खारिज योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद—तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1/4/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(दीपक मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
बयाना